

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह  
सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,  
उ०प्र०।

2. निदेशक,  
स्थानीय निकाय, इन्दिरा भवन,  
उ०प्र०, लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक : 14 जून, 2016

नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

विषय: बी०एस०यू०पी०/आई०एच०एस०डी०पी० व अन्य आवासीय योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों एवं रिलोकेशन के आवासों को सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तगत करने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों के गरीब परिवारों हेतु सूडा/डूडा द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बी०एस०यू०पी०/आई०एच०एस०डी०पी० व अन्य आवासीय परियोजनाओं के अन्तर्गत आवास/आवासीय परिसर के अवस्थापना सुविधा का निर्माण किया जा रहा है। उक्त परियोजनाओं में अधिकांश परियोजनाओं के कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा लाभार्थियों को आवासों के आवंटन की प्रक्रिया भी लगभग पूर्ण हो गयी है/प्रचलित है।

2. उल्लेख करना है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित कम्प्लीशन सर्टिफिकेट में उल्लिखित है कि "The infrastructure of said scheme is with the.....ULB and handed over to taken over to/taken over by the Urban Local Body for O & M on..... for further operation and maintenance." उक्त से स्पष्ट है कि सूडा/डूडा द्वारा बी०एस०यू०पी०/आई०एच०एस०डी०पी० व अन्य आवासीय परियोजनाओं को अवस्थापना सुविधा सहित सम्बन्धित जनपद की नगर निकायों को हस्तगत कराया जाना होता है। इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय जनपदों में नगर निकायों द्वारा उक्त परियोजनाओं को अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण सृजित परिसम्पत्तियों का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट भारत सरकार को प्रेषित करने में विलम्ब हो रहा है।

3. अतएव अनुरोध है कि कृपया बी०एस०यू०पी०/आई०एच०एस०डी०पी० व अन्य आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित आवासों को आवासीय परिसर की अवस्थापना सुविधा सहित सम्बन्धित नगर निकाय को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें। ताकि योजनाओं से सम्बन्धित कम्प्लीशन सर्टिफिकेट भारत सरकार को समय से प्रेषित किया जा सके।


भवदीय,

  
(श्रीप्रकाश सिंह)  
सचिव।

संख्या- 1086 (1)/69-1-16-14(221)/15, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निदेशक, सूडा को उनके पत्र संख्या-3957/59/पन्द्रह/आई0एच0एस0डी0पी0/  
बी0एस0यू0पी0/सरे0-XI/2015-16, दिनांक 27.01.2016 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि  
कृपया प्रकरण में अपने स्तर से भी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

  
13/1/2016  
(श्रीप्रकाश सिंह)  
सचिव।